



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2002, वर्ष 2026

धीरज सिंह @ हिमांशु

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, गृह, उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार (गण)

—

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

सौरभ कुमार

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान ज़मानत अर्ज़ी अभियुक्त-आवेदक द्वारा आपराधिक वाद संख्या 50 वर्ष 2026 में ज़मानत की माँग करते हुए दायर की गई है, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3(1) के तहत, पुलिस थाना- लम्भुआ, ज़िला सुल्तानपुर में दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध मात्र एक वाद दर्शाया गया है, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा उसे ज़मानत प्रदान की जा चुकी है। ज़मानत आदेश, ज़मानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुबंध-3 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है। गैंग चार्ट में उल्लिखित वाद के अतिरिक्त, पाँच अन्य आपराधिक वाद भी हैं, जिनकी समुचित व्याख्या ज़मानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुच्छेद 12 में की गई है। आवेदक दिनांक 1.2.2026 से जेल में है।

यह भी प्रस्तुत है कि आवेदक, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(b) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों के साथ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

इन तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद कि आवेदक 1.2.2026 से जेल में है; आवेदक के आपराधिक इतिहास को ज़मानत अर्ज़ी के समर्थन में दायर शपथ पत्र के अनुच्छेद 2 में विधिवत स्पष्ट किया गया है; सह-आरोपी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही ज़मानत दी जा चुकी है; और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त प्रकरण मानता हूँ।

तदनुसार, ज़मानत अर्ज़ी **स्वीकार** की जाती है।

उपर्युक्त आपराधिक वाद/प्राथमिकी संख्या में सम्मिलित आवेदक - **धीरज सिंह @ हिमांशु** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी बंध-पत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाए; यह ज़मानत निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं :-

- (i) आवेदक विचारण के समय साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्यों के लिए तय तारीखों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी प्रकार की सुनवाई टालने की माँग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) आवेदक, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(b) की आवश्यकता के अनुसार एक वचन-पत्र भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह यह वचन देगा कि वह किसी भी प्रकरण में सम्मिलित नहीं होगा और न ही ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vi) आवेदक, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं उपस्थित रहेगा या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि आवेदक विचारण के समय ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक उस उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय, विधि के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

31 मार्च, 2026

शुक्ला

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।